पत्र संख्या : 7वि.शा./स्थापना–व्यय–15–04 /2021 ज०सं० 97

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहूद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स/ईचा–गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची/मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 31/8/21

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 के मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष–2700–मुख्य सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–01– मुख्य सिंचाई–वाणिज्यिक, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–02–स्वर्ण रेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट मुख्य शीर्ष **2700–मुख्य सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रू. में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2700–मुख्य सिंचाई	01 मुख्य सिंचाई–वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन/ 02–स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	**1075.650**

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि – रूपये दस करोड़ पचहत्तर लाख पैसठ हजार मात्र।।

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट उपबंध रू. 20580.81 लाख **(रू. दो सौ पाँच करोड़ अस्सी लाख एकासी हजार मात्र)** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

6. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

7. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।

8. कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. वित विभाग के पत्रांक – 29/बी टी ई–18/2014–15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।
11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय। **अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरूद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
15. विभिन्न इकाईयों में आवंटित राशि में से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31मार्च 2022 के पूर्व** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

28/08/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 97 रॉची, दिनांक :– 31/8/21

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला–खरसॉवा/घाटशिला/देवघर/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

28/08/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 97 रॉची, दिनांक :– 31/8/21

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि॰)	(श्याम किशोर प्रसाद सिंह) संयुक्त सचिव (अभि॰)	28/08/21 (प्रशांत कुमार) सचिव

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–2700–मुख्य सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक

लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–02–स्वर्णरेखा बॉध परियोजना

परिशिष्ट I

पत्रांक 97 दिनांक 31/8/21 का अनुलग्नक

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2021–2022		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें		विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49S27000100102000101	49S27000100102000112	49S27000100102000213	49S27000100102000315	49S27000100102000333	49S27000100102000334	49S27000100102000337	49S27000100102000442	49S27000100102000760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रशासक स्वर्ण रेखा बहुउदेशीय परि० आदित्यपुर जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	116.000	0.000	0.600	0.500	0.250	0.000	0.000	0.700	0.000	118.050	
		अतिरिक्त आवंटन	**103.000**	**1.000**	**0.600**	**0.500**	**0.200**	**0.000**	**0.000**	**0.600**	**0.000**	105.900	
		कुल आवंटन	219.000	1.000	1.200	1.000	0.450	0.000	0.000	1.300	0.000	**223.950**	
2	मुख्य अभियंता–ईचागालुडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन	107.000	0.000	0.500	0.500	0.200	0.000	0.000	0.600	0.000	108.800	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.200**	**0.000**	**0.000**	**1.000**	**0.000**	1.200	
		कुल आवंटन	107.000	0.000	0.500	0.500	0.400	0.000	0.000	1.600	0.000	**110.000**	
3	बांध एवं गेट रूपांकण अंचल 1, रॉची	पूर्व का आवंटन	96.000	0.000	0.400	0.300	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	97.300	
		अतिरिक्त आवंटन	**46.000**	**0.000**	**0.100**	**0.300**	**0.100**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	46.500	
		कुल आवंटन	142.000	0.000	0.500	0.600	0.200	0.000	0.000	0.500	0.000	**143.800**	
4	योजना एवं आयोजन अंचल, रॉची	पूर्व का आवंटन	213.000	0.000	0.400	0.300	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	214.300	
		अतिरिक्त आवंटन	**60.000**	**0.000**	**1.400**	**0.500**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.700**	62.600	
		कुल आवंटन	273.000	0.000	1.800	0.800	0.100	0.000	0.000	0.500	0.700	**276.900**	
5	योजना एवं मोनेटरिंग अचंल–1 रॉची	पूर्व का आवंटन	170.000	0.000	0.400	0.300	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	171.300	
		अतिरिक्त आवंटन	**80.000**	**0.000**	**0.000**	**0.700**	**0.300**	**0.000**	**0.000**	**0.800**	**0.000**	81.800	
		कुल आवंटन	250.000	0.000	0.400	1.000	0.400	0.000	0.000	1.300	0.000	**253.100**	
6	रूपांकण आयोजन एवं मोनेटरिंग अंचल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	133.000	0.000	0.400	0.300	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	134.300	
		अतिरिक्त आवंटन	**26.210**	**0.000**	**0.000**	**0.200**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.400**	**0.000**	26.810	
		कुल आवंटन	159.210	0.000	0.400	0.500	0.100	0.000	0.000	0.900	0.000	**161.110**	
7	स्वर्ण रेखा बांध अंचल चांडिल	पूर्व का आवंटन	169.000	0.000	0.400	0.300	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	170.300	
		अतिरिक्त आवंटन	**11.000**	**0.000**	**0.500**	**0.300**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.700**	**0.000**	12.500	
		कुल आवंटन	180.000	0.000	0.900	0.600	0.100	0.000	0.000	1.200	0.000	**182.800**	
8	आयोजन एवं मोनेटरिंग प्रमंडल – जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	251.000	0.000	0.300	0.250	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	252.150	
		अतिरिक्त आवंटन	**99.000**	**0.000**	**0.000**	**0.150**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	99.150	
		कुल आवंटन	350.000	0.000	0.300	0.400	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	**351.300**	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

28/08/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2021—2022		विस्तृत शीर्ष—01—वेतन एवं भत्तें		विस्तृत शीर्ष—02—यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष—03—प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष—04—मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष—07—अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वेतन 49S27000100102000101	एल0टी0सी0 49S27000100102000112	देशीय यात्रा व्यय 49S27000100102000213	कार्यालय व्यय 49S270001001102000315	दूरभाष 49S27000100102000333	वर्दी 49S270001001102000334	विद्युत व्यय 49S27000100102000337	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति 49S27000100102000442	विधि प्रभार 49S270001001102000760	कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	उप निदेशक क्रय निर्माण सामग्री एवं निविदा नियंत्रण आदित्यपुर—जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	229.000	0.000	0.300	0.250	0.050	0.000	0.000	0.500	0.000	230.100	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.200	0.100	0.350	0.050	0.000	0.000	0.600	0.000	1.300	
		कुल आवंटन	229.000	0.200	0.400	0.600	0.100	0.000	0.000	1.100	0.000	231.400	
10	केन्द्रीय भंडार एवं शिविर, प्रमंडल — चांडिल	पूर्व का आवंटन	256.000	0.000	0.300	0.250	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	256.600	
		अतिरिक्त आवंटन	55.000	0.000	0.450	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	55.700	
		कुल आवंटन	311.000	0.000	0.750	0.500	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	312.300	
11	नहर रूपांकण प्रमंडल सं0—1 जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	315.000	0.000	0.300	0.250	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	315.600	
		अतिरिक्त आवंटन	48.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	48.300	
		कुल आवंटन	363.300	0.000	0.300	0.250	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	363.900	
12	पुनर्वास पदा0 सं0—1 स्वर्ण रेखा परियोजना आदित्यपुर—जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	173.000	0.000	0.300	0.250	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	173.600	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.300	0.200	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	
		कुल आवंटन	173.000	0.000	0.600	0.450	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	174.200	
13	पुनर्वास पदा0 सं0—2 स्वर्ण रेखा परियोजना चांडिल, पश्चिमी सिंहभूम	पूर्व का आवंटन	178.000	0.000	0.300	0.250	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	179.050	
		अतिरिक्त आवंटन	50.000	0.000	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.000	0.600	50.900	
		कुल आवंटन	228.000	0.000	0.300	0.450	0.100	0.000	0.000	0.500	0.600	229.950	
14	यांत्रिक प्रमंडल, चांडिल	पूर्व का आवंटन	222.000	0.000	0.300	0.250	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	223.050	
		अतिरिक्त आवंटन	18.120	0.000	0.400	0.200	0.000	0.000	0.000	0.400	0.100	19.220	
		कुल आवंटन	240.120	0.000	0.700	0.450	0.000	0.000	0.000	0.900	0.100	242.270	
15	लघु वितरणी प्रमंडल सं0—3 मानगो, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	385.000	0.000	0.300	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	385.550	
		अतिरिक्त आवंटन	50.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	51.600	
		कुल आवंटन	435.000	0.000	0.500	0.650	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	437.150	
16	लघु वितरणी प्रमंडल सं0—9 घाटशिला	पूर्व का आवंटन	264.000	0.000	0.300	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	264.550	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	0.600	
		कुल आवंटन	264.000	0.000	0.300	0.250	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	265.150	
17	लघु वितरणी प्रमंडल सं0—10 घाटशिला	पूर्व का आवंटन	385.000	0.000	0.300	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	385.550	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.250	0.100	0.000	0.000	0.000	0.100	0.450	
		कुल आवंटन	385.000	0.000	0.300	0.500	0.100	0.000	0.000	0.000	0.100	386.000	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

97
31/8/21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

28/08/21.
(प्रशांत कुमार)
सचिव

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष 2021–2022		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें		विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49S27000100102000101	49S27000100102000112	49S27000100102000213	49S270001001 02000315	49S27000100102000333	49S270001001 02000334	49S27000100102000337	49S27000100102000442	49S270001001 02000760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	विशेष भू–अर्जन पदा0 स्वर्ण रेखा परियोजना आदित्यपुर–जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	200.000	0.000	0.300	0.250	0.050	0.000	0.000	0.500	0.000	201.100	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.500	
		कुल आवंटन	200.000	0.000	0.300	0.250	0.050	0.000	0.000	0.500	0.500	201.600	
19	विशेष भू–अर्जन पदा0 स्वर्ण रेखा परियोजना चांडिल, पश्चिमी सिंहभूम	पूर्व का आवंटन	232.000	0.000	0.300	0.250	0.050	0.000	0.000	0.500	0.000	233.100	
		अतिरिक्त आवंटन	84.000	0.000	0.600	0.250	0.150	0.000	0.000	0.600	0.300	85.900	
		कुल आवंटन	316.000	0.000	0.900	0.500	0.200	0.000	0.000	1.100	0.300	319.000	
20	सहा0 निदेशक जन संपर्क स्वर्ण रेखा परियोजना आदित्यपुर–जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	20.000	0.000	0.300	0.250	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	21.050	
		अतिरिक्त आवंटन	15.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	15.300	
		कुल आवंटन	35.000	0.000	0.300	0.450	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	36.350	
21	सिंचाई प्रमंडल–गालूडीह	पूर्व का आवंटन	227.000	0.000	0.300	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	227.550	
		अतिरिक्त आवंटन	5.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	1.120	6.270	
		कुल आवंटन	232.000	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	1.120	233.820	
22	स्वर्ण रेखा नहर प्रमंडल घाटशिला	पूर्व का आवंटन	240.000	0.000	0.300	0.250	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	240.600	
		अतिरिक्त आवंटन	100.000	0.000	0.400	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.700	101.350	
		कुल आवंटन	340.000	0.000	0.700	0.500	0.050	0.000	0.000	0.000	0.700	341.950	
23	स्वर्ण रेखा नहर प्रमंडल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	350.000	0.000	0.300	0.250	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	350.600	
		अतिरिक्त आवंटन	196.300	0.000	0.500	0.300	0.100	0.000	0.000	0.000	4.000	201.200	
		कुल आवंटन	546.300	0.000	0.800	0.550	0.150	0.000	0.000	0.000	4.000	551.800	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		1046.930	1.200	5.550	5.650	1.400	0.000	0.000	5.800	9.120	1075.650	

आवंटित राशि– रूपये दस करोड़ पचहत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

97
31/8/21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

28/08/21.
(प्रशांत कुमार)
सचिव